## सरकारी कामकाज में <br> ई-आधार कार्ड पहचान <br> पत्रहोगा मान्य

रायपुर ।नईद्नुनिया प्रतिनिधि
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचनाप्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि सरकारी कामकाज में ई आधार कार्ड पहचानपत्र के रूप में मान्य होगा। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेरों को के $े$ सर सरार ने गाइड लाइन जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना पौर्योगिकी विभाग भारत सरकार के डिट्टी डायेक्टर बीएम पटनायक ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेजे परिपन्न में कहा है कि कई राज्यों से यह शिकायत आरही है कि विभिन्न विभागवेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई आधार कार्ड को यूनिक पहचान पत्रके रूप में मान्यता नहीं दे रहहे हैं जबकि ई आधार कार्ड और प्रिंटेड आधार कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही है।

